न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

किशनाराम बनाम चीमाराम वगैरह किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 138 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

13.10.2020 पत्रावली स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु पेश हुई। अीपलांट के अधिवक्ता कैलाश जयपाल एवं श्री स्वर्णसिंह चंपावत एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार सैन उपस्थित। उभय पक्ष की स्थगन प्रार्थन पत्र एवं अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये अपीलाधीन आदेश किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने में भारी विधिक व तथ्यात्मक त्रूटि कारित की है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धाराओं में वाद प्रस्तुत किया है, जो वाद पोषणीय नहीं है। क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम दोनो की धाराएं भिन्न-भिन्न प्रकृति है तथा उक्त दोनो अधिनियमों में एक साथ वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद प्रस्तुत होता है तो ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 में प्रस्तुत होता है, यदि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत होता है तो उसके साथ उसकी उपधाराओं में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त दोनो धाराओं में वाद मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया गया है एक खातेदार दूसरे खातेदार के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा मौके पर कब्जा काश्त प्रार्थी का चला आ रहा है, जिस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी द्वारा अपनी पत्नी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रमीण के अंतर्गत ऋण प्राप्त किया है, जिसके तहत प्रार्थी द्वारा अपनी सह खातेदारी की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा द्वेषतापूर्ण तरीके से प्रार्थी के निर्माण कार्य रूकवाने की नियत से उक्त गलत व झूठा वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील व प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2020/14.09.2020 को अपास्त व निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की अस्वीकार किये जाने का आदेश फरमावें।

रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता नें अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब पत्रावली पर आ चुके है तथा पत्रावली अंतिम चरण में है। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जो कि केवल मानवीय (अधिवक्ता) भूल है। उक्त भूल ~~की सजा~~ वादीगण को नहीं दी जा सकती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे साथ ही न्यायालय हाजा उक्त भूल सुधार हेतु उचित आदेश पारित फरमावें।

उभय पक्ष के अधिक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन दावा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत है, जबकि इसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 का आवेदन पेश किया गया है, जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के मुताबिक **''इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथ-पत्र पर या अन्य किसी प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि कोई संपति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्सम्बद किसी प्रक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर